

मुख्य पोस्ट भास्टर जनरल डाक परिषद्‌ल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनात्मक डाक व्यव की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010—श्रावण 1, शक 1932

आयुष विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्र. एफ-5-15-2010-1-उनसठ.—इग एण्ड कास्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 33 जी की उपधारा (4) धारा 21 की उपधारा (4) तथा इग एण्ड कास्मेटिक रूल्स 1945 के नियम 152 एवं नियम 67 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उक्त नियमों के खण्ड VI A, VII A, IX A, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII एवं XIX (जहां तक इनका संबंध आयुर्वेदिक, यूजानी-सिद्ध तथा होम्योपैथिक औषधियों एवं कास्मेटिक से है) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी अधिसूचना एफ. 5-14-05-3-पचपत, क्रमांक 2, दिनांक 9 जुलाई 2007 को अधिक्रमित करते हुए, डॉ. अलाउद्दीन सिद्दीकी, उप संचालक, संचलनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश राज्य के लिए लाईसेंसिंग अथारिटी (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) एतद्वारा नियुक्त करता है।

No. F-5-15-2010-1-LIX.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 33 G and sub-section (4) of Section 21 of the Drug and Cosmetics Act, 1940 and rule 152, 67 A of the Drug and Cosmetics rule, 1945 for the purpose of the parts VI A, VII A, IX A, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII and XIX of the said rules (up to the extent to which these are related with Ayurved (including Siddha) Unani and Homoeopathic Durg and Cosmetics Government of Madhya Pradesh Superseding the notifications issued previously F-5-14-05-3-LV No. 2 dated 9th July, 2007 with his purpose, hereby appoints Dr. Alauddin Siddiqui, Deputy Director, Directorate, Indian System of Medicine and Homeopathy Madhya Pradesh as licencing Authority (Indian System of Medicine and Homeopathy) for the Madhya Pradesh State.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मधु हाण्डा, सचिव.